प्रपत्र 'क'

[उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ की धारा १० के अधीन नियम १५ (३) देखिये]

गृहों की प्रदेशना (एलाटमेन्ट) के लिये प्रार्थना-पत्र

टिप्पणी—इस प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र दो प्रतियों में भरा जाना चाहिये और उसके साथ प्रार्थी के पारपत्र आकार (पासपोर्ट साइज) के दो फोटो संलग्न होनी चाहिये, जो उस कारखाने के, जिसका वह श्रमिक हो, प्रबन्धक श्रमिक कल्याण अधिकारी (लेबर वेलफेयर आफिसर) द्वारा विधिवत् प्रमाणित हों, अपूर्ण प्रपत्र अस्वीकार्य होंगे ।

१—उस बस्ती (कालोनी) का नाम, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया ।

पारपत्र आकार का फोटो

प्रार्थी द्वारा फोटो अच्छी तरह चिपकाया जाना चाहिये ।

२—गृह का विवरण—
(क) प्रथम अधिमान—
(ख) द्वितीय अधिमान—

३—प्रार्थी का—

(क) पूरा नाम .....

(ख) पिता का नाम .....

(ग) वर्तमान पता—गृह संख्या ..... मुहल्ला .....
डाकघर ..... जिला .....

(घ) स्थायी पता ..... गांव ..... गृह संख्या और मुहल्ला .....
..... डाकघर ..... तहसील .....
जिला ..... ।

४—प्रार्थी का व्यवसाय (विवरण के साथ)—

(क) कारखाने (मिल का नाम) जहां काम कर रहा हो .....
.....

(ख) टिकट संख्या ....., (ग) अनुभाग .....
(घ) पाली (शिफ्ट) ....., (ङ) सेवा की अवधि .....
(च) स्थायी, स्थानापन्न या अस्थायी .....
(श्रमिक की श्रेणी प्रेषण अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिये)

५—वेतन (महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों सहित) .....
.....

६—नियोजक का पूरा नाम तथा पता .....
.....

७—वर्तमान नियोजक के अधीन नियोजन (नौकरी) प्रारम्भ होने का दिनांक .....
.....

८—अनुबन्ध—

(१) मैं अनुबन्ध करता हूं कि मुझे गृह प्रदिष्ट किये जाने की दशा में सरकार गृह-आयुक्त प्रतिमास मेरे नियोजक से मेरे वेतन या मजदूरी में से जैसी भी दशा हो, देय किराया और अन्य देयों को कटवा सकते हैं ।

(२) मैं यह भी अनुबंध करता हूं और वचन देता हू कि मुझ पर बाकी किराया मेरे उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों), नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों), दायाद (दायादों) या अभिहस्तांकिती (अभिहस्तांकितियों) से भी वसूल किया जा सकेगा ।

(३) मैं यह भी अनुबन्ध करता हूं कि फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ के अधीन श्रमिक न रहते ही मैं इस बात की सूचना गृह-आयुक्त को दूंगा ।

(४) मैं यह अनुबन्ध करता हूं कि गृह का अध्यासन हर समय उक्त गृह के अध्यासन के संबद्ध उन शर्तों के अधीन होगा, जो गृह-आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर नियत की जायं या सूचित की जायं ।

९—घोषणा—

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे किसी भी औद्योगिक श्रमिक बस्ती में कोई गृह प्रदिष्ट नहीं है ।

मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण सही है और यदि उपर्युक्त विवरण का कोई भाग गलत पाया जाय तो मैं गृह को तुरन्त खाली करने तथा गृह-आयुक्त के आज्ञानुसार प्रतिकर देने का उत्तरदायी हूंगा ।

दिनांक————————

प्रार्थी के हस्ताक्षर

१०—नियोजक का प्रमाण-पत्र—

प्रमाणित करता हूं कि प्रार्थी, जिसकी मेरे द्वारा प्रमाणित फोटो, ऊपर चिपकायी गई है, फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ (१) में यथा परिभाषित श्रमिक (worker) है और उसके द्वारा ऊपर दिया गया विवरण, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही है । मैं गृह-आयुक्त, उत्तर प्रदेश से सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ की धारा २० के अनुसार, श्रमिक की मजदूरी से किराये का बकाया, यदि कोई हो, वसूल कर लूंगा ।

प्रबन्धक/श्रमिक कल्याण अधिकारी

के हस्ताक्षर

टिप्पणी—प्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उसकी मुहर अवश्य लगाई जानी चाहिये ।